

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2421/VII-1/2018/3(70)/18
देहरादून, दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 880/खनिज/स्टोनक्रेशर/उ०ध०सि०/भू०खनि०ई०/2018-19, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० जय श्रीराम इन्फ्राटेक एल०एल०पी०, ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर को जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम सिसौना के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 08 के खसरा सं० 573/3 रकवा 1.7740 है० एवं खसरा सं० 574/2 रकवा 0.2500 है० कुल रकवा 2.0240 है० मध्ये 3.5 एकड़ अर्थात् 1.41 है० नाप भूमि में 100 टन प्रति घंटा की क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
14. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्विंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी फेन के माध्यम से स्कृबिंग की जायेगी। स्कृबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।

15. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
16. स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।

गरिमा रौकली
संयुक्त सचिव

संख्या:- 2421 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० जय श्रीराम इन्फ्राटेक एल०एल०पी०, ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव